पत्रांक–2 / यो0–5004 / 2024–

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार,पटना।

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार, बिहार, (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–01, दिनांक–

विषयः– वितीय वर्ष 2024–25 मे **"नियोजन सेवा का विस्तार"** स्कीम अन्तर्गत ₹13,00,000 / –(रूपये तेरह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेशः– **स्वीकृत।**

2. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम अन्तर्गत "नियोजन सेवा का विस्तार" स्कीम के तहत वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या–2) अधिनियम 2024 पत्रांक संख्या–ब–15 / बी0 एस0 जी0–09 / 2024–214 (वि) दिनांक–06.03.2024 तदनुसार प्रशासी विभाग (श्रम संसाधन) के ज्ञापांक–973 दिनांक–15.03.2024 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत ₹13,00,000 / –(रूपये तेरह लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

₹13,00,000 / –(रूपये तेरह लाख) मात्र के व्यय पर राज्य में स्थापित कार्यालयों यथा– निदेशालय नियोजन मुख्यालय के लिए ₹5,00,000 एवं जिला नियोजनालय, जमुई के लिए ₹8,00,000 के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमावली 2005 एवं क्रय संबंधी सभी वित्तीय नियमावली के सुसंगत नियमों का दृढतापूर्वक पालन करते हुए आवश्यकतानुसार कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री, फर्नीचर इत्यादि का क्रय किया जायेगा।

3. यह चालू स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय **मुख्य शीर्ष**– "2230– श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–02–रोजगार सेवाएं, समूह शीर्ष–राज्य स्कीम, लघु शीर्ष–101–रोजगार सेवाएं, उपशीर्ष–0101–नियोजन सेवा का विस्तार, मांग संख्या–26, विपत्र कोड संख्या–26–2230.02.101.0101 चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपबंधित राशि के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0101.21 01 सामग्री एवं पूर्तियां मद से विकलनीय होगा।

4. यह चालू योजना है। गत वर्ष इसकी स्वीकृति विभागीय पत्रांक–1052 दिनांक–05.07.2023 एवं 362 दिनांक–04.03.2024 द्वारा दी गई है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान यथा उप निदेशक (नियोजन) / सहायक निदेशक (नियोजन) / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी होंगे।

6. इस स्कीम हेतु आवश्यक उदव्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।

7. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, 3576 दिनांक–01.04.2024 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य नियमों द्वारा दिये गये दिशा–निदेश के अनुसार समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) के तहत निर्गत किया जायेगा।

8. उक्त में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन संचिका सं0–2 / यो0–5004 / 2024 के पृ0–19 / टि0 पर प्राप्त है।

9. उक्त में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–2 / यो0–5004 / 2024 के पृ0–18 / टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग
कृ0पृ0उ0

D:\Yojna Work\Arvind sir\Senction Plan\Senction Plan (2024-25)\Senction Plan_2024-25.docx

(6)

ज्ञाप संख्याः-2/यो0-5004/2024- पटना-01, दिनांक-

प्रतिलिपिः-प्रमण्डलीय आयुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, जमुई/जिला कोषागार पदाधिकारी, जमुई/उप निदेशक (नियोजन), भागलपुर/सहायक निदेशक (नियोजन), निदेशालय नियोजन मुख्यालय/जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञाप संख्याः-2/यो0-5004/2024-390 पटना-01, दिनांक-21/3/2025

प्रतिलिपिः-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.25

सरकार के संयुक्त सचिव
श्रम संसाधन विभाग